

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 325 सन 2021

अनवान :-

1. राजेन्द्र पुनिया पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. शारदा पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. दलीप पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री दलीप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5. रामकिशोर पुत्र दलीप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
6. कविता पुत्री दलीप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 09/09/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420 हैक् एवं रोही मौजा 2 जेएसएन चक 4 बाराणी के खाता संख्या 47/49 की कुल 1.7200 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा दुनीराम पुत्र रिखाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा दुनीराम पुत्र रिखाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा दुनीराम पुत्र रिखाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 3 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 2 का भतिजा है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लियो है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी का चाचा है के नाम से दर्ज भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता दुनीराम पुत्र रिखाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो खाता विभाजन उपरान्त प्रतिवादी संख्या

3 के नाम से दर्ज है विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से भूमि दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन चक 4 बरानी के खाता संख्या 47/49 की कुल 1.7200हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा दुनीराम पुत्र रिखाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा दुनीराम पुत्र रिखाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा दुनीराम पुत्र रिखाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 3 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 2 का भतिजा है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लियो है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन चक 4 बरानी के खाता संख्या 47/49 की कुल 1.7200हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है।

पर्चा खतौनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि दुनीराम पुत्र रिखाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा दुनीराम पुत्र रिखाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा दुनीराम पुत्र रिखाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1,3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि

वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने भूमि काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज भूमि वादी को प्राप्त हुई थी वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया कि वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वादी को प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज 3 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी जो वादी काश्त करता आ रहा है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चम्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बरानी के खाता संख्या 47/49 की कुल 1.7200 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है में से प0न0 372/391(83) के किला न0 11, 12, 20 प्रत्येक 0.253 हैक् कुल 0.759 हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. राजेन्द्र पुनिया पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।
2. शारदा पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।
3. दलीप पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।
4. कृष्णा पुत्री दलीप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।
5. रामकिशोर पुत्र दलीप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।
6. कविता पुत्री दलीप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 325 सन 2021 निर्णय दिनांक-09/09/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 47/49 की कुल 1.7200 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है में से प0न0 372/391(83) के किला न0 11 ,12 ,20 प्रत्येक 0.253 हैक् कुल 0.759 हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर

सत्यमेव जयते